रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 924] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2014/वैशाख 4, 1936
No. 924] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2014/VAISAKHA 4, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

का.आ. 1125(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2715 (अ), तारीख 29 नवम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 1053.230 कि.मी. से 1055.680 कि.मी. और 1058.040 कि.मी. से 1084.600 कि.मी. तक (गुण्डुगोलनु–विजयवाडा सेक्शन) और 0.000 कि.मी. से 3.750 कि.मी. और 6.550 कि.मी. से 6.720 कि.मी. (हनुमान जंक्शन बाइपास सेक्शन) और 33.050 कि.मी. से 47.880 कि.मी. (विजयवाडा बाइपास सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप–धारा (3) के अधीन तारीख 13 जनवरी, 2012 को "साक्षी" और "दि हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 1053.230 कि.मी. से 1055.680 कि.मी. और 1058.040 कि.मी. से 1084.600 कि.मी. तक (गुण्डुगोलनु–विजयवाडा सेक्षन) और 0.000 कि.मी. से 3.750 कि.मी. और 6.550 कि.मी. से 6.720 कि.मी. (हनुमान जंक्षन बाइपास सेक्षन) और 33.050 कि.मी. से 47.880 कि.मी. तक (विजयवाडा बाइपास सेक्षन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालूक / मण्डल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	कृष्णा	गन्नावरम	चिन्ना अवुटुपल्ली	117/3ए	निजी	शुष्क	11655	नल्लूरु पापाराव
				114/2बि	निजी	शुष्क	1133	नल्लूरु वेंकट सुब्बाराव
				114/3बि	निजी	शुष्क	567	नल्लूरु वेंकट सुब्बाराव
				114/4बि	निजी	शुष्क	567	नल्लूरु वेंकट सुब्बाराव
				114/6बि	निजी	शुष्क	1362	नल्लूरु वेंकट सुब्बाराव

[फा.सं. 3(डी) / पीआईयू–विजयवाड़ा / भाराराप्रा / एच.क्यू / 11013 / एलए / एनडीएलएस / 2014]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2014

S.O. 1125(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2715(E), dated 29.11.2011, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four-laning/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 5 on the stretch of land from Km. 1053.230 to Km. 1055.680 and Km. 1058.040 to Km. 1084.600 (Gundugolanu-Vijayawada Section) and Km. 0.000 to Km. 3.750 and from Km. 6.550 to Km. 6.720 (Hanuman Junction Bypass Section) and from Km.33.050 to Km.47.880 (Vijayawada Bypass Section) in the District of Krishna in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sakshi" and "The Hindu" both dated 13.01.2012; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 1053.230 to Km. 1055.680, and from Km. 1058.040 to Km. 1084.600 of Gundugolanu - Vijayawada Section, and from Km. 0.000 to Km.3.750 and from Km. 6.550 to Km. 6.720 of Hanuman Junction Bypass Section and Km. 33.050 to Km. 47.880 of Vijayawada Bypass Section of National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk/mandal	Name of the village	Survey Number	Type of land	Nature of land	Area in square meters	Name of the land owner / interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Krishna	Gannavaram	Chinna-avutupalli	117/3A	Private	Dry	11655	Nalluru Papa Rao
				114/2B	Private	Dry	1133	Nalluru Venkata Subba Rao
				114/3B	Private	Dry	567	Nalluru Venkata Subba Rao
				114/4B	Private	Dry	567	Nalluru Venkata Subba Rao
				114/6B	Private	Dry	1362	Nalluru Venkata Subba Rao

[F. No. 3(D)/PIU-Vijayawada/NHAI/HQ/11013/LA/NDLS/2014]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.